**प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जिला ग्वालियर (म.प्र.)**

(सदस्य—साबिर अहमद खान)

**Registration No. MACC/1774/2022**

**Filling No.MACC/19297/2022**

**CNR No.MP0701-024852-2022**

**Filling Date-26-09-2022**

| | | |
|---|---|---|
| | श्रीमती ललिता शर्मा, आयु 42 वर्ष, पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा, निवासी—25सी, रामानुज नगर, सिटी सेंटर, ग्वालियर म.प्र. | **......आवेदक** |
| | **बनाम** | |
| 1. | आनन्द शर्मा, आयु 32 वर्ष, पुत्र स्व. श्री गिरिजाशंकर शर्मा, निवासी—नहरवाली माता रोड, गड्डे वाला मोहल्ला, नाका चन्द्रवदनी ग्वालियर म.प्र. **(वाहन मालिक एवं चालक मोटर सायकिल कं—एम.पी.07—एन.डी.5312)** | |
| 2 | नेशनल एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा मण्डल प्रबन्धक, इन्दरगंज चौराहा, रोशनीघर रोड, लश्कर ग्वालियर म.प्र. **(बीमा कंपनी)** | **...अनावेदकगण** |

आवेदक द्वारा **श्री देवेन्द्र शर्मा** अधिवक्ता।
अनावेदक क्र.1 एकपक्षीय।
अनावेदक क्र.2 द्वारा **श्री दिनेश सिंह राजपूत** अधिवक्ता।

**:: अधिनिर्णय ::**

(आज दिनांक **12.12.2025** को घोषित)

**1-** आवेदक की ओर से यह दावा धारा 166 मोटरयान अधिनियम, 1988 के तहत मोटर दुर्घटना दिनांक 21.08.2021 में उसे

आई गंभीर उपहति से हुई स्थाई अयोग्यता के सम्बन्ध में विभिन्न मदों में प्रतिकर राशि रूपये 1,11,92,000/- एवं दुर्घटना दिनांक से अदायगी दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

**2-** आवेदन संक्षेप में यह है कि :-

**(i)** दिनांक 21.08.2021 को दोपहर 12.00 बजे के लगभग आवेदिका अपने पति श्री देवेन्द्र शर्मा के साथ बारहदरी चौराहे से मुरार बाजार में राखी खरीदने के लिये पैदल अपने पति के साथ जा रही थी, जब वे स्कूल क्रमांक-1 मुरार के सामने पंहुचे तभी पीछे से एक मोटर सायकिल क्रमांक-एम.पी.07-एन.डी.5312 का चालक अपनी मोटर सायकिल को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया तथा आवेदिका में टक्कर मार दी, टक्कर लगने से आवेदिका बांये तरफ रोड पर गिरी जिससे कोहनी में फ्रैक्चर होकर चोट आई थी जिसके संबंध में पुलिस थाना मुरार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

**(ii)** उक्त घटना की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना मुरार ने अपराध क्रमांक-741/2021 अन्तर्गत धारा 279, 337 भा.दं.वि. के तहत दर्ज किया तथा आवेदिका को फ्रैक्चर हो जाने से प्रकरण में धारा 338 भा.दं.वि. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान दुर्घटना करने वाले वाहन क्रमांक-एम.पी.07-एन.डी.5312 को जप्त कर ड्रायवर/अनावेदक क्र.1 को गिरफ्तार किया गया। दुर्घटना करने वाले वाहन को वाहन स्वामी अनावेदक क्र.1 द्वारा अपनी सुपुर्दगी में प्राप्त

किया गया। विवेचना उपरांत दिनांक 30.08.2022 को अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. के तहत चालान कता कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिस पर से अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध आपराधिक प्र.क्र.5299/2022 पर दर्ज होकर विचाराधीन है।

**(iii)** उक्त दुर्घटना में आवेदिका को बांये हाथ की कोहनी में गंभीर चोट आई तत्पश्चात् जिला चिकित्सालय मुरार ग्वालियर में एक्सरे किया गया जहां चिकित्सक ने आवेदिका की बांए हाथ की कोहनी में अस्थि भंग होना पाया गया तथा चिकित्सक द्वारा सिटी स्कैन कराये जाने की सलाह दी थी जिसमें आवेदिका को बांए हाथ की कोहनी में मल्टीपल फ्रैक्चर एवं डिसलोकेट होना पाया गया था। आवेदिका द्वारा मुरार स्थित हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉ.सुनील के. अग्रवाल को दिनांक 21.08.2021 को ही दिखाया गया था तत्पश्चात् डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार देने के पश्चात् आवेदिका को सर गंगाराम हॉस्पीटल नई दिल्ली में जांइन्ट रिप्लेसमेंट में विशेषज्ञ डॉ. ओ.एन.नागी को दिखाये जाने की सलाह दी थी। आवेदिका द्वारा दिनांक 23.08.2021 को सरगंगाराम हॉस्पीटल नई दिल्ली में डॉ. ओ.एन.नागी को दिखाया गया था। तत्पश्चात् डॉक्टर द्वारा दिनांक 27.08.2021 को बांये हाथ की कोहनी का आवेदिका का ऑपरेशन किया जाकर दिनांक 28.08.2021 को डिस्चार्ज किया गया था। डॉक्टर द्वारा आवेदिका को फिजियोथैरेपी कराने की सलाह दी गई, डॉक्टर के परामर्श पर आवेदिका द्वारा फिजियोथैरेपी कराई गई। आवेदिका

दुर्घटना दिनांक को 42 वर्षीय व हृष्टपुष्ट महिला होकर होम ट्यूशन के रूप में छात्रों को कई वर्षों से निरंतर संबंधित कक्षा के विषय संबंधी ट्यूशन पढ़ाकर एवं एक्टिविटी क्लास के माध्यम से पढ़ाने का कार्य कर अपना प्रतिमाह 40,000/- रूपये एवं 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करती थी जिससे अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। आवेदिका के बांये हाथ की एल्बो में मल्टीपल फैक्चर हो जाने से आवेदिका को स्थाई निशक्तता आ गई जिसके चलते आवेदिका अपना ट्यूशन पढ़ाने का कार्य नहीं कर पा रही है। वर्तमान में उसका इलाज जारी है तथा भविष्य में पुनः एक ऑपरेशन होकर प्लेट को कसने वाले स्क्रू चिकित्सकों द्वारा निकाले जावेंगे ऐसा चिकित्सकों द्वारा सुझाया गया है। आवेदिका के बांये हाथ की कोहनी की हड्डी पूर्व की भांति नहीं जुड़ पाई है और उसकी कोहनी पूरी सीधी न होकर दर्द बना रहता है। अनावेदक कमांक-1 द्वारा वाहन कमांक-एम.पी.07-एन.डी.5312 को तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की। उक्त वाहन का मालिक अनावेदक कमांक-1 हैं तथा उक्त वाहन अनावेदक कमांक-2 के यहां दिनांक 22.02.2021 से 21.02.2022 की अवधि तक के लिये बीमित है। अतः आवेदिका ने अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः विभिन्न मदों में 1,11,92,000/- रूपये क्षतिपूर्ति राशि एवं दुर्घटना दिनांक से अदायगी दिनांक तक 12 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज दिलाये जाने की प्रार्थना की है।

**3-** अनावेदक क्र.01 प्रकरण में एकपक्षीय रहा है उसकी ओर से कोई जवाबदावा पेश नहीं किया गया है।

**4-** अनावेदक क्र.2 की ओर से आवेदन का जवाब प्रस्तुत कर आवेदन में वर्णित अधिकांश अभिवचनों से इन्कार करते हुए विशेष आपत्तियों में यह अभिवचन किया है कि प्रकरण की परिस्थितियों में कथित घटना एकमात्र आवेदिका के द्वारा लापरवाहीपूर्वक बिना दांये बांये व आगे पीछे देखे अचानक रोड पार करने से दुर्घटनाग्रस्त हुई है। प्रश्नगत वाहन मोटर सायकिल क्रमांक–एम.पी.07–एन.डी.5312 व उसके चालक के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गयी है। बल्कि कथित घटना के लिये एकमात्र रूप से स्वयं आवेदिका ही जिम्मेदार है। प्रश्नगत वाहन मोटर सायकिल क्रमांक–एम.पी.07–एन.डी.5312 के कथित चालक अनावेदक क्रमांक–1 के पास कथित समय पर वाहन के अनुरूप वाहन को चलाने हेतु कोई भी वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस न होने से एवं उसकी जानकारी बीमाधारक अनावेदक क्र.1 को होकर उसकी सहमति से वाहन को चलाये जाने से बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होकर अनावेदक क्र.2 क्षतिपूर्ति के लिये उत्तरदायी नहीं है। प्रकरण में धारा 158(6), 134(सी) मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। यदि प्रकरण में अवार्ड पर कोई ब्याज आयद किया जाता है तो वह वर्तमान प्रचलित बैंक दर 6 प्रतिशत से अधिक देय नहीं है। साथ ही आवेदक प्रकरण में किये गये विलम्ब की अवधि का कों भी ब्याज पाने का पात्र नहीं

है। अतः उनके विरूद्ध आवेदन पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

**5-** उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर अधिकरण द्वारा प्रकरण में निम्नलिखित वाद–प्रश्नों की रचना की है, जिनके सम्मुख विवेचन उपरांत निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैंः–

| क | वाद प्रश्न | निष्कर्ष |
|---|---|---|
| 1 | क्या दिनांक 21.08.2021 को दोपहर के लगभग 12.00 बजे स्कूल क्र.1 के सामने माल रोड मुरार अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र मुरार जिला ग्वालियर में अनावेदक क्र.1 के द्वारा स्वयं के स्वत्व, स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल क्र.एम.पी.07–एन.डी.5312 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आवेदिका ललिता शर्मा में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणाम स्वरूप आवेदिका श्रीमती ललिता शर्मा को उपहति कारित हुई ? | **''प्रमाणित''** |
| 2 | क्या उक्त दुर्घटना में आवेदिका श्रीमती ललिता शर्मा को आई चोट के कारण स्थाई निशक्तता कारित हुई है। | **''स्थाई निशक्तता कारित होना प्रमाणित नहीं'' मात्र गंभीर उपहति कारित होना प्रमाणित''** |
| 3 | क्या दुर्घटना के समय उक्त प्रश्नगत वाहन मोटरसायकिल क्र.एम.पी.07–एन.डी.5312 को अनावेदक क्र.1 के द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में बिना वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति, बिना वैध परमिट व फिटनेस प्रमाण पत्र के चलाया गया है, यदि हां तो प्रभाव ? | **''अप्रमाणित '** |
| 4 | क्या उक्त दुर्घटना आवेदिका की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा का परिणाम है ? यदि हां तो प्रभाव ? | **''अप्रमाणित''** |

| | | |
|---|---|---|
| 5 | क्या आवेदक क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है, यदि हां तो किस अनावेदक से और कितनी ? | **''आंशिक रूप से प्रमाणित, आवेदक, अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः राशि 2,40,984/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारी''** |
| 6 | सहायता एवं व्यय ? | **''अधिनिर्णय के पैरा–54 अनुसार''** |

## //निष्कर्ष के आधार//

**वाद प्रश्न कमांक–(1) एवं (4)–:**

**6-** उपरोक्त दोनों वाद प्रश्न परस्पर संबंधित होने के कारण दोनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**7-** आवेदिका ने अपने दुर्घटना दावा आवेदन पत्र में किये गये अभिवचनों के समर्थन में स्वयं ललिता शर्मा (आ.सा.1) को परीक्षित कराते हुए अपने अभिवचनों की पुष्टि कर यह भी उल्लेख किया है कि दिनांक 21.08.2021 को वह बारादरी चौराहे से मुरार के लिये राखी खरीदने पैदल अपने पति के साथ जा रही थी जब वह शासकीय स्कूल कमांक–1 के सामने पंहुची तो पीछे से एक मोटर सायकिल तेजी व लापरवाहीपूर्वक आकर उसे टक्कर मार दी। उक्त मोटर सायकिल का नंबर एम.पी.07–एन.डी.5312 था। वह गिर गई थी और उसे बांये हाथ की कोहनी में चोट आई थी। वह अपने पति के साथ पुलिस थाना मुरार रिपोर्ट करने गयी थी फिर पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल में उसकी एम.एल.सी. एक्सरे कराये थे। उसने अपने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज प्रदर्श पी–01 लगायत 14 प्रस्तुत किये

हैं। उसके आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की है।

**8-** आवेदिका ललिता शर्मा (आ.सा.1) द्वारा मुख्य परीक्षण में दी गयी साक्ष्य की सत्यता परखने हेतु अनावेदक क्र.2 की ओर से प्रति परीक्षण किया गया है जिसमें उसने स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–1 की रिपोर्ट उसने नहीं लिखवाई थी, स्वतः कथन में कहा है कि उसे दर्द हो रहा था उसके पति साथ थे इसलिये उसके पति ने लिखवाई थी। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और बयान लिया था। मोटर सायकिल पीछे से आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वह पीछे से आने वाले वाहन की गति नहीं बता सकती, स्वतः कथन में कहा है कि वह आगे जा रही थी पीछे से जोरदार टक्कर लगी इसलिये पीछे वाले वाहन की गति तेज थी। मोटर सायकिल चलाने वाला भाग गया था इसलिये घटना के समय उसे पुलिस के सुपुर्द नहीं किया था। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि मोटर सायकिल वाला घटना स्थल पर रूका नहीं था इसलिये वह वाहन का नंबर नहीं देख पाई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि ऑटो से जाने वाली बात गलत बता रही है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अपने पति के साथ मुरार मोटर सायकिल से गयी थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि वह अपने पति के साथ मोटर सायकिल से गिरकर दुर्घटनाग्रस्त हुई थी और प्रश्नगत वाहन से उसकी कोई दुर्घटना नहीं हुई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे दुर्घटना में कोई चोट नहीं आयी थी।

**9-** यद्यपि प्रकरण में आवेदक की ओर से आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों को सम्यक् रूप से साबित नहीं किया गया है, लेकिन आवेदक ने आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की हैं। माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्याय दृष्टांत **अनिल तिवारी विरूद्ध साहिब सिंह 2000(1) एम.पी.एल.जे. 59** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में दाण्डिक प्रकरण के दस्तावेजों को ठोस सबूतों से साबित करने की आवश्यकता नहीं है।

**10-** अनावेदक क्र.01 की ओर से घटना दिनांक 21.08.2021 के संबंध में दुर्घटना कारित मोटर सायकिल क्रमांक–एम.पी.07–एन.डी. 5312 के चालक व मालिक अनावेदक क्र.1 होने के संबंध में कोई खण्डन नहीं किया गया है तथा स्वयं उपस्थित होकर प्रश्नगत वाहन दुर्घटना के घटित न होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

**11-** अनावेदक क्र.2 ने अपने जवाब में उक्त अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए प्रश्नगत मोटर सायकिल से कोई दुर्घटना न होने तथा आवेदक व अनावेदक क्र.1 के मध्य दुरभि संधि कर यह दुर्घटना दावा प्रस्तुत किये जाने का अभिवचन किया है तथा उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 170 मोटर यान अधिनियम भी प्रस्तुत किये जाने पर आदेश पत्रिका दिनांक 13.01.2025 अनुसार अनावेदक क्र.2 को समस्त बिन्दुओं पर बचाव की अनुमति दी गयी थी।

**12-** आरक्षी केन्द्र मुरार ने अपराध क्रमांक–741/2021 पर अपराध दर्ज होने के पश्चात् अनुसंधान अधिकारी ने विवेचना के दौरान एकत्रित की गयी साक्ष्य एवं अनुसंधान के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध प्रदर्श पी–1 का अभियोग पत्र धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है जिसमें आरोपी वाहन चालक अनावेदक क्र.1 आनन्द शर्मा की उपेक्षा व लापरवाही से उक्त वाहन दुर्घटना घटित होने का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर चालान प्रस्तुत किया गया है।

**13-** अनावेदक क्र.02 ने अपने तर्क में आवेदक की योगदायी उपेक्षा होने का तर्क किया है, किन्तु अनावेदक क्र.2 की ओर से आवेदक ललिता शर्मा (आ.सा.1) से योगदायी उपेक्षा के संबंध में कोई प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है। अतः साक्षी के प्रतिपरीक्षण से ऐसे कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आये जिससे आवेदिका ललिता शर्मा की योगदायी उपेक्षा की पुष्टि होती हो। इसके अतिरिक्त अनावेदक क्र.2 की ओर से कोई साक्ष्य प्रश्नगत वाहन दुर्घटना में आवेदिका ललिता शर्मा की योगदायी उपेक्षा के संबंध में प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि प्रश्नगत वाहन दुर्घटना में आवेदक/आहत ललिता शर्मा की योगदायी उपेक्षा थी।

**14-** इस प्रकार वर्तमान मामले में योगदायी उपेक्षा की परिस्थिति प्रमाणित नहीं होती है। जैसा कि **न्याय दृष्टांत मीरादेवी**

**विरूद्ध एच.आर.डी.सी. 2014 (2) टी.ए.सी. 1 (एस.सी.)** में कहा गया है कि:—

> To prove the contributory negligence, there must be cogent evidence. In the instant case, there is no specific evidence to prove that the accident has taken place due to rash and negligent driving of the deceased scooterist. In the absence of any cogent evidence to prove the plea of contributory negligence, the said doctrine of common law

**15-** अनावेदक क्र.1 स्वयं उपस्थित होकर उक्त तथ्य का खण्डन कर सकता था कि वह उक्त वाहन दुर्घटना में संलिप्त नहीं रहा है। ऐसी दशा में अनावेदक क्र.1 के विरूद्ध प्रस्तुत किये गये अभियोग पत्र पर इस स्टेज पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत **न्याय दृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध अखिलेश द्विवेद्वी एवं अन्य 2007(II) एम.पी.डब्लू.एन. 21** में निर्धारित किया गया है कि उल्लंघनकारी यान के चालक की परीक्षा न किये जाने से दावेदार द्वारा साबित उपेक्षा खण्डित नहीं हुई है।

**16-** न्याय दृष्टांत **कुन्दरूवेंकट रेड्डी विरूद्ध कोण्डापली उपेन्द्र रेड्डी एवं अन्य 2014 ए.सी.जे. 1419** में निर्धारित किया गया है कि पुलिस द्वारा प्रस्तुत अभियोग पत्र दुर्घटना संबंधी तथ्य को साबित करता है, ऐसे अभियोग पत्र के आधार पर क्लेम प्रकरण योग्य है। न्याय दृष्टांत **शिवराम विरूद्ध मोहम्मद शरीफ लॉ एम.पी.एच.**

**2007–8–74, निराकरण माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश दिनांक 17/08/2007** में निर्धारित किया गया है कि ट्रक ड्रायवर ने स्वयं को परीक्षित नहीं कराया और उसके द्वारा ट्रक चालन का खण्डन नहीं किया गया। ऐसी दशा में दुर्घटनाकारक वाहन चालक की साक्ष्य न होना उसकी स्वयं उपेक्षा सिद्ध करती है। न्याय दृष्टांत **मोहम्मद आजाद उर्फ अज्जू विरूद्ध महेश एवं अन्य 2015(1) एम.पी.डब्लू.एन. 31** में भी यह निर्धारित किया गया है कि यान दुर्घटना में अन्तर्ग्रस्त नहीं था, यह साबित करने का भार प्रत्यर्थीगण पर था, क्षतिपूर्ति के दावे में वह अपने भार का निर्वहन करने में विफल रहे हैं, जिससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वर्णित यान से दुर्घटना नहीं हुई। न्याय दृष्टांत **जैनाबाई विरूद्ध आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी सिविल अपील क0 21077/ 2019 एस.सी. सी., निराकृत दिनांक 10 अगस्त, 2022** में यह निर्धारित किया गया है कि यदि यह स्वीकृत है कि रजिस्टर्ड वाहन के ड्रायवर द्वारा उसके विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत होने की दशा में तथा वाहन जप्त करने पर उसने उसके विरूद्ध प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण में एफ.आई.आर. क्वैश करने हेतु प्रोसिडिंग प्रारम्भ नहीं की है, उक्त तथ्य स्वीकृत होने की दशा में मोटर दुर्घटना मुआवजे की मांग करने वाले आवेदन पर फैसला करते हुए आपराधिक ट्रायल में आरोपों को साबित करने जैसे साक्ष्य के नियम का उपयोग नहीं किया जा सकता।

**17-** अनावेदक क्र.01 आनन्द शर्मा के आधिपत्य से ही उक्त

वाहन एवं उसके कागजात जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–9) अनुसार जप्त कर अनावेदक क्र.01 आनन्द शर्मा के विरूद्ध ही सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात् धारा 279, 337, 338 भा.दं.वि. के अपराध के लिए अभियोग पत्र (प्रदर्श पी–1) प्रस्तुत किया गया है।

**18-** आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण की प्रमाणित प्रतिलिपियॉ फर्जी हों, ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि आवेदक ने पुलिस से मिलकर कोई असत्य मामला बनाया हो। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकरण में उपलब्ध नहीं है।

**19-** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी न्याय दृष्टांत **Bimla Devi Vs. Himachal Road Transport Corporation (2009)13 SCC 530** में यह अभिनिर्धारित किया है कि दुर्घटना के मामलों में इस बात को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है कि किसी वाहन के द्वारा किसी रीति विशेष से दुर्घटना कारित होने का यथावत सबूत देना दावेदार के लिए सम्भव नहीं होता है, दावेदार को मात्र अपना मामला अधिसंभाव्यवता की प्रबलता की कसौटी पर ही खरा उतरना होता है जो कि अर्थात् सबूत को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने का मानदण्ड इस प्रकार के दावों में लागू नहीं किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का न्याय दृष्टांत **Kusum Vs. Satveer, 2011(1) ANJ 266 (SC)** अवलोकनीय है।

**20-** उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में आवेदक की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य तथा प्रकट हुई परिस्थितियों से संभावना की अधिसंभाव्यता के सिद्धान्त के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि दिनांक 21.08.2021 को दोपहर के लगभग 12.00 बजे स्कूल क्र.1 के सामने माल रोड मुरार अन्तर्गत आरक्षी केन्द्र मुरार जिला ग्वालियर में अनावेदक क्र.1 के द्वारा स्वयं के स्वत्व, स्वामित्व के वाहन मोटर सायकिल क्र.एम.पी.07–एन.डी.5312 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर आवेदिका ललिता शर्मा में टक्कर मारकर दुर्घटना कारित की जिसके परिणाम स्वरूप आवेदिका श्रीमती ललिता शर्मा को उपहति कारित हुई जिसमें आवेदिका की योगदायी/अंशदायी उपेक्षा नहीं थी।

**21-** अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक–(1) का निराकरण आवेदक के पक्ष में **'प्रमाणित'** के रूप में तथा वाद प्रश्न क्रमांक–(4) का निराकरण **''अप्रमाणित''** के रूप में किया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक–(2)–:**

**22-** आवेदिका श्रीमती ललिता शर्मा (आ.सा.1) ने अपनी मौखिक साक्ष्य में भी यह स्पष्ट किया है कि पुलिस द्वारा सिविल अस्पताल में उसके एम.एल.सी. एक्सरे कराये थे उसके ज्यादा चोट होने के कारण उसने प्रायवेट में डॉ. सुनील अग्रवाल मुरार थाने के पास दिखाया था। डॉक्टर द्वारा उसका सिटी स्कैन एवं एक्सरे कराया

था। सिटी स्कैन में बांये हाथ की कोहनी में डिस्लोकेट एवं फ्रैक्चर का पता चला था। उसे डॉक्टर सुनील अग्रवाल द्वारा गंगाराम हॉस्पीटल के डॉक्टर ओ.एन.नागी को दिखाये जाने की सलाह दी थी। उसके परिवार वाले उसे गंगाराम हॉस्पीटल में दिखाने ले गये थे। वह दिनांक 23.08.2021 को सर गंगाराम हॉस्पीटल में दिखाने गयी थी। उसकी दिनांक 27.08.2021 को सर्जरी हुई थी। वह दो दिन सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती रही थी जहां ऑपरेशन करके प्लेट एवं स्क्रू डाले गये थे। उसके बाद वह फिजियोथेरिपी दो माह तक कराई थी। उससे भी उसे आराम नहीं मिला उसके बांये हाथ की कोहनी में आज भी दर्द रहता है। वह पूर्व की भांति कोई कार्य नहीं कर पाती है। उसने सिविल हॉस्पीटल मुरार में जिला विकलांग मेडीकल बोर्ड में दिखाया था जिसमें उसकी चोटों की जांच कर विकलांग प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रदर्श पी–60 है जिसमें उसे बांये हाथ में बोर्ड द्वारा 20 प्रतिशत की स्थाई विकलांगता पाई थी। उसके अपने इलाज के बिल पर्चे प्रदर्श पी–15 लगायत 59 तथा दिल्ली आने जाने के ट्रेवल्स के बिल प्रदर्श पी–67 लगायत 72 है। वह अब घर के कोई काम नहीं कर पाती है। घर के काम के लिये उसे अलग से बाई लगानी पढ़ रही है जिसको उसे 10,000/– प्रतिमाह भुगतान करना पढ़ रहा है।

**23-** अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि घटना कोरोना काल समय की है जिस समय वाहन सार्वजनिक मार्ग पर चलना

प्रतिबन्धित थे। घटना की रिपोर्ट स्वयं आवेदिका द्वारा दर्ज नहीं कराई गई आवेदिका के पति एक अधिवक्ता हैं जिन्होंने आवेदिका को किन्ही कारणों से आई चोट को वाहन दुर्घटना का नाम देते हुए असत्य रिपोर्ट एवं चिकित्सीय दस्तावेज व परिवहन हेतु दस्तावेज निर्मित कराते हुए झूठा दुर्घटना दावा दुर्भावनापूर्ण उद्‌देश्य से क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। घटना दिनांक को आवेदिका को ग्वालियर से डॉ. अग्रवाल द्वारा सर गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली में रेफर किये जाने का कोई प्रमाण नहीं है। आवेदिका किसी अन्य साधन से देहली दिखाने हेतु अस्पताल गई लेकिन उसने एस.एस. ट्रेवल्स के फर्जी व कूटरचित बिल प्रदर्श पी–66 लगायत 72 प्रकरण में संलग्न किये हैं। प्रदर्श पी–68 अनुसार आवेदिका दिनांक 26.08.2021 को देहली गई तथा दिनांक 27.08.2021 को देहली में रूकी जिसके संबंध में प्रदर्श पी–39 की रसीद संलग्न की है फिर दिनांक 28 को वह वापिस आई जबकि प्रदर्श पी–69 की रसीद अनुसार उसके एक दिन रूककर वापिस लौटने की रसीद के संबंध में भी फिर बिल प्रस्तुत किया है जिससे प्रदर्श पी–68 व 69 के बिल फर्जी बनाये जाना प्रमाणित होते हैं।

**24-** अनावेदक अधिवक्ता के उपरोक्त तर्कों के प्रकाश में आवेदिका साक्षी ललिता शर्मा (आ.सा.1) के न्यायालयीन कथन पर विचार करने से उसने अपने मुख्य परीक्षण में डॉ. सुनील अग्रवाल द्वारा गंगाराम हॉस्पीटल के डॉ. ओ.एन.नेगी को दिखाये जाने

की सलाह देना बताया है जिस पर उसके परिवार वाले उसे गंगाराम हॉस्पीटल में दिखाने के लिये ले गये थे। इस संबंध में आवेदिका की ओर से प्रदर्श पी–15 के दस्तावेज का अवलोकन करने पर उसमें दिनांक 21.08.2021 को डॉ. सुनील के. अग्रवाल को दिखाये जाने पर संपूर्ण इलाज का पर्चा नीले रंग की स्याही से है लेकिन काले रंग की स्याही से पश्चात्वर्ती दशा में गंगाराम हॉस्पीटल में डॉ. नेगी को दिखाये जाने हेतु रेफर करना लिखा है जिससे स्पष्ट है कि पश्चात्वर्ती दशा में चिकित्सक से प्रदर्श पी–15 पर रेफर करने के तथ्य लेख कराये गये हैं जिससे उसकी स्याही का रंग भिन्न रहा है। उपरोक्त तथ्य कब रेफर हेतु लिखे गये इस संबंध में रेफर करने के हस्ताक्षर के नीचे कोई दिनांक अंकित नहीं है। ऐसी दशा में पश्चात्वर्ती समय पर भी प्रदर्श पी–15 के दस्तावेज में चिकित्सक से अतिरिक्त तथ्य अंकित करवाये जा सकते हैं जो कि आवेदक के प्रकरण में एक संदेह उत्पन्न करते हैं।

**25-** आवेदक द्वारा दिनांक 23.08.2021 को सर गंगाराम हॉस्पीटल में दिखाये जाने की ओ.पी.डी. रसीद प्रदर्श पी–32 व 33 व इलाज व्यय की रसीद प्रदर्श पी–34 व 35 हैं जिससे स्पष्ट है कि आवेदिका दिनांक 23.08.2021 को ग्वालियर से देहली इलाज कराने के लिये गई थी तथा 24.08.2021 को वापिस ग्वालियर आ गयी थी जिस संबंध में एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–36 व दवा रसीद प्रदर्श पी–37 व पैथॉलाजी रसीद प्रदर्श पी–38 हैं। ऐसी दशा में आवेदिका का

इलाज हेतु ट्रेवलिंग के लिये प्रस्तुत बिल प्रदर्श पी–67 उचित प्रतीत होता है।

**26-** आवेदिका ने अपने अभिवचन में पुनः दिनांक 26.08.2021 को ग्वालियर से नई दिल्ली टैक्सी कार से जाना व रात्रि विश्राम कर दिनांक 27.08.2021 को सुबह 08.00 बजे अस्पताल में भर्ती किया जाकर कोहनी का ऑपरेशन कर दिनांक 28.08.2021 को डिस्चार्ज किया जाना बताया है जिसके अनुसार दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 28.08.2021 तक आवेदिका देहली में रही। इसी आशय का कथन आवेदिका ने अपने प्रति परीक्षण के पैरा–9 में किया है। ऐसी दशा में ग्वालियर से देहली जाने का बिल तथा देहली में नाईट रूककर वापिस आने का एक ही ट्रेवल्स का बिल होना चाहिये, लेकिन आवेदक की ओर से प्रदर्श पी–68 दिनांक 26.08.2021 का तथा दिनांक 28.08.2021 का प्रदर्श पी–69 का प्रस्तुत किया है जिसमें नाईट स्टे चार्ज भी अंकित किया गया है जिससे स्पष्ट है कि एक बिल प्रदर्श पी–68 का आवेदिका के अभिवचनों व मौखिक साक्ष्य से यात्रा परिवहन हेतु असंगत है जिससे यह संभावना है कि उक्त बिल को बिना यात्रा किये ही ट्रेवल्स के माध्यम से प्राप्त किया गया है जिससे प्रदर्श पी–68 के यात्रा परिवहन बिल पर संदेह उत्पन्न हुआ है।

**27-** आवेदिका को पुनः दिनांक 17.09.2022 को ग्वालियर से

देहली इलाज हेतु जाने के संबंध में प्रदर्श पी–70 की ट्रेवल्स रसीद के साथ ही ओ.पी.डी. का बिल प्रदर्श पी–49, इलाज व्यय प्रदर्श पी–50, 51, 52 हैं जिससे प्रदर्श पी–70 का परिवहन बिल व इलाज व्यय सुसंगत प्रतीत होते हैं।

**28-** आवेदिका ने प्रदर्श पी–71 का दिनांक 06.10.2021 का भी ट्रेवल्स रसीद प्रस्तुत की है जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी–54 की ओ.पी.डी. बिल रसीद, प्रदर्श पी–55, 56 की इलाज के व्यय से पुष्टि होती है तथा प्रदर्श पी–72 की ट्रेवल्स रसीद दिनांक 15.11.2021 की ओ.पी.डी. बिल रसीद प्रदर्श पी–57 व इलाज व्यय प्रदर्श पी–58, 59 से पुष्टि होती है।

**29-** अनावेदक ने प्रदर्श पी–67 लगायत प्रदर्श पी–72 के ट्रेवल्स रसीद फर्जी व कूटरचित होने के संबंध में संबंधित ट्रेवलर एजेन्ट को साक्ष्य हेतु तलब कराया किन्तु समंस तामीली उपरांत साक्षी के अनुपस्थित रहने की दशा में पुनः जमानती वारंट से साक्षी को तलब किये जाने का आदेश देने पर अनावेदक ने उक्त साक्षी का कथन न कराना व्यक्त किया। ऐसी दशा में प्रदर्श पी–67 लगायत प्रदर्श पी–72 के ट्रेवल्स रसीद फर्जी व कूटरचित होना प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन आवेदक की ही साक्ष्य से ही दिनांक 26.08.2021 से 28.08.2021 तक इलाज कराने के संबंध में एक ही ट्रेवल्स रसीद होनी चाहिये थी जिससे प्रदर्श पी–68 की ट्रेवल्स रसीद

की पुष्टि आवेदिका साक्ष्य से नहीं हुई है जिससे उक्त रसीद का परिवहन व्यय दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

**30-** आवेदिका ने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि एम.एल.सी. रिपोर्ट अनुसार उसे बांये हाथ की कोहनी पर डिस्लोकेशन था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आज वह अपने हाथ को बिना किसी सहारे के लेकर पैदल चलकर आयी है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि 15.11.2021 के पश्चात् का इलाज से संबंधित कोई भी दस्तावेज उसने प्रकरण में पेश नहीं किया है। साक्ष्जी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसका वर्तमान में कोई इलाज नहीं चल रहा है। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्तमान में इलाज चलने के संबंध में उसने कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–60 के विकलांगता प्रमाण पत्र में स्थाई अथवा अस्थाई विकलांगता का उल्लेख नहीं है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसे कोई विकलांगता नहीं आई है। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि वह अपने दैनिक कार्य घटना के पूर्व की भांति कर रही है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि घर पर बाई लगाने के संबंध में कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है और न ही 10,000/– रूपये भुगतान की कोई रसीद प्रस्तुत की है।

**31-** आवेदक की ओर से डॉ. यश शर्मा (आ.सा.2) को

परीक्षित कराया गया है जिसने कथन किया है कि दिनांक 19.02. 2025 को जिला मेडीकल बोर्ड ग्वालियर के समक्ष आहत श्रीमती ललिता शर्मा उपस्थित हुई थी जिनके इलाज के पर्चे, एक्सरे प्लेट आदि को देखने के पश्चात् आहत का पूरे शरीर के मान से 20 प्रतिशत विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्रदर्श पी–60 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर बोर्ड के अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हैं तथा चेयरमेन के सी से सी भाग पर हस्ताक्षर हैं।

**32-** आवेदिका ललिता शर्मा को ह्यूमरस अस्थि के निचले भाग में फ्रैक्चर हुआ था इस तथ्य का प्रमाण प्रदर्श पी–16 की एलबो ज्वाईंट सिटी स्कैन रिपोर्ट से प्रकट होता है। डॉ. सुनील के. अग्रवाल ने भी अपने इलाज के पर्चे प्रदर्श पी–15 में लैफ्ट एलबो में फ्रैक्चर होने का उल्लेख किया है जिससे यह तो प्रमाणित हुआ है कि उक्त वाहन दुर्घटना के परिणाम स्वरूप आवेदिका को अस्थि भंग हुआ था। अब यह विचार करना है कि क्या उक्त अस्थि भंग के परिणाम स्वरूप स्थाई अशक्तता कारित हुई है जिसके संबंध में आवेदिका ने अपनी मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त प्रदर्श पी–60 का विकलांगता सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उनकी बांये एलबो अस्थि में 20 प्रतिशत विकलांगता निर्धारित की गयी है।

**33-** अनावेदक अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदिका के

पति एक अधिवक्ता होने से उन्होंने अपने व्यवसाय का लाभ उठाते हुए अपनी पत्नी का असत्य विकलांगता प्रमाण पत्र दिनांक 21.02.2025 को दावा प्रस्तुती पश्चात् अधिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के उद्देश्य से बनवाते हुए प्रस्तुत किया है जबकि पूर्व में आवेदिका की ओर से जो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसकी प्रति प्रदर्श डी–1 है जो एक ही मेडीकल बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है जो कि दिनांक 19.06.2024 का है जिसमें ए से ए भाग पर स्पष्ट लिखा गया था कि केवल 20 प्रतिशत अयोग्यता केवल हैण्डीक्राफ्ट कार्य की योग्यता निर्धारण हेतु लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उक्त प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसे विलोपित कर पश्चात्वर्ती दिनांक 21.02.2025 को प्रदर्श पी–60 का विकलांगता सत्यापन प्रमाण पत्र दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य से प्राप्त किया गया है।

**34-** अनावेदक के उपरोक्त तर्क के प्रकाश में प्रदर्श पी–60 व प्रदर्श पी–1 का प्रमाण पत्र जारी करने वाले डॉ. यश शर्मा (आ.सा. 2) को परीक्षित कराये जाने पर डॉ.यश शर्मा ने प्रदर्श डी–1 का दस्तावेज भी बोर्ड से जारी की जाने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श पी–60 व प्रदर्श डी–1 के दस्तावेजों में स्थाई विकलांगता न लिखी होना स्वीकार किया है तथा पूछे गये प्रश्न में यह भी उत्तर दिया है कि स्थाई विकलांगता पत्र उन्हीं को दिया जाता है जिनका अस्थि रोग सही नहीं हो सकता और वो सर्टिफिकेट यू.डी.आई.डी. कार्ड के नाम से जाना जाता है उसका बोर्ड अलग होता है तथा पैरा–5 में यह भी

स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–60 एवं प्रदर्श डी–1 का दस्तावेज स्थाई विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं है जिससे स्पष्ट है कि आवेदक की ओर से जो विकलांगता प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–60 प्रस्तुत किया है वह पश्चात्वर्ती दशा में प्रदर्श डी–1 के विकलांगता प्रमाण पत्र पूर्व में प्राप्त करने के उपरांत प्रदर्श डी–1 के आधार पर कोई विकलांगता निर्धारित न की जाने की दशा में बाद में बनवाते हुए प्रस्तुत किया है जो कि उनकी दुर्भावना का परिचायक होकर असत्य आधारों पर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के प्रयास की श्रेणी में है जिससे आवेदिका को कोई स्थाई अयोग्यता कारित होना प्रमाणित नहीं होती है।

**35-** उपरोक्त विवेचना से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि आहत श्रीमती ललिता शर्मा को उक्त दुर्घटना के परिणाम स्वरूप घोर उपहति कारित हुई किन्तु कोई स्थाई अशक्तता कारित होना प्रमाणित नहीं हुई है। अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक–(2) का निराकरण **"आवेदिका को कोई स्थाई विकलांगता कारित न होकर मात्र घोर उपहति कारित होना प्रमाणित"** के रूप में किया जाता है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक–(3)–:</u>

**36-** अनावेदक क्र.2 ने अपने जवाब में अनावेदक क्र.1 द्वारा बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन करते हुए घटना दिनांक को वैध व प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति न होना लेख किया है किन्तु अनावेदक की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है कि दुर्घटना

दिनांक को अनावेदक क्र. 01 द्वारा वाहन मोटर सायकिल क्रमांक–एम.पी.07–एन.डी.5312 को बीमा पॉलिसी की शर्तो के उल्लंघन में उपयोग–उपभोग किया जा रहा था।

**37-** आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपराधिक प्रकरण के दस्तावेज जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–9 के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान मोटर सायकिल क्रमांक–एम.पी.07–एन.डी.5312 को जप्त किए जाते समय वाहन का रजिस्ट्रेशन, वाहन की बीमा पॉलिसी एवं ड्रायवर का ड्रायविंग लायसेंस भी जप्त किए गए थे, जिनके अवलोकन से उक्त वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.02 के यहां बीमित होना एवं उसके चालक के पास वैध चालक अनुज्ञप्ति होना प्रकट होता है।

**38-** दुर्घटना दिनांक को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में दुर्घटनाकारक वाहन को चलाया जा रहा हो, इस सम्बन्ध में प्रकरण में कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है। इस प्रकार प्रकरण में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं होता है। अतः इस वाद प्रश्न क्रमांक–(3) का निराकरण अनावेदक क्र.02 के विरूद्ध **'अप्रमाणित'** के रूप में किया जाता है।

**वाद प्रश्न क्रमांक–(5)–:**

**39-** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत **राजकुमार विरूद्ध अजय कुमार, (2011) 1 एस.सी.सी. 343** में यह प्रतिपादित किया गया है कि अधिकरणों को चोटों के मामले में वित्तीय और

गैर–वित्तीय दोनों शीर्षों में प्रतिकर दिलाना चाहिये। गैर वित्तीय शीर्ष में शारीरिक पीड़ा, मानसिक वेदना, रमणीयता की हानि, लंबे जीवन की प्रत्याशा में कमी, भविष्य के इलाज जैसे शीर्ष बतलाये गये हैं, जबकि वित्तीय शीर्ष में इलाज में हुआ खर्च, दवाईयॉ, आवागमन व्यय, इलाज के दौरान की आमदनी की हानि, स्थाई अयोग्यता के कारण भविष्य की आमदनी की हानि, भविष्य खर्च, अटेंडर व्यय, जैसे शीर्ष बतलाये गये हैं।

**40-** माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रेखा जैन विरूद्ध नेशनल इं.कं.लि.ए.आई.आर., 2013 एस.सी. 3429** में भी व्यक्तिगत चोटों के मामले में प्रतिकर के विभिन्न शीर्ष बतलाये हैं। उक्त दोनों मामलों में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में आवेदक को प्रतिकर राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है।

## आवेदक की आयु

**41-** आवेदक श्रीमती ललिता शर्मा की ओर से अपने आवेदन पत्र में दुर्घटना दिनांक को उसकी आयु 42 वर्ष होने का अभिवचन किया है। आवेदक श्रीमती ललिता शर्मा (आ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में कथन के समय उसकी आयु 44 वर्ष होने का कथन किया है। आवेदक की ओर से अपनी आयु को प्रमाणित करने हेतु अपने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की है। आवेदिका के आधार कार्ड में उसके जन्म का वर्ष 1980 उल्लेखित है। घटना दिनांक 21.08.2021 की है। आवेदक की आधार कार्ड में उल्लेखित जन्म के

वर्ष के आधार पर आवेदक की आयु घटना दिनांक को 41 वर्ष होना प्रकट होती है। आवेदिका की ओर से अपने कम्प्युटेशन ऑफ इन्कम प्रदर्श पी–62 प्रस्तुत की गयी है। जिसमें आवेदिका की जन्म तिथि 05.07.1980 उल्लेखित है जिसके आधार पर घटना दिनांक को उसकी आयु 41 वर्ष 01 माह 16 दिन होना प्रकट होता है। अतः संभावना की अधिसंभाव्यता के आधार पर दुर्घटना दिनांक को आवेदक की आयु 41 वर्ष 01 माह 16 दिन होना मान्य किया जाता है तथा उसे 41 से 45 आयु वर्ग की होना मान्य किया जाता है।

## आय की हानि

**42-** आवेदक का यह अभिवचन रहा है कि वह दुर्घटना के पूर्व वह ट्यूशन कोचिंग आदि का कार्य कर 5 लाख रूपये प्रतिवर्ष आय अर्जित करती थी। आवेदक श्रीमती ललिता शर्मा (आ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के पूर्व वह कक्षा–1 से 5 तक के बच्चों को घर पर ट्यूशन देती थी। वह टयूशन करके 40,000/– रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करती थी। प्रति परीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2021 के बाद का कोई आयकर विवरणी उसने प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने अपने ट्यूशन पढ़ाने के संबंध में किसी कोचिंग संस्थान का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। साक्षी ने स्वतः कथन में कहा है कि वह घर पर ही पांच शिफ्टों में बच्चों को कोचिंग पढ़ाती थी। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि कोचिंग तथा उससे 40,000/– रूपये आय के संबंध में उसने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं

किया है स्वतः कथन में कहा है कि बैंक स्टेटमेंट पेश किये हैं। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि बैंक स्टेटमेंट से यह निर्धारित नहीं किया जा सकता कि उक्त खाते में जमा की गयी राशि ट्यूशन से अर्जित आय है। साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसने आयकर विवरणी असत्य रूप से प्रस्तुत की है।

**43-** आहत ललित शर्मा की वर्ष 2018—19 की आयकर विवरणी प्रदर्श पी—61 में उसकी ग्रोस इंकम 3,49,393/— रूपये एवं नेट इंकम 3,44,520/— रूपये, वर्ष 2019—20 की आयकर विवरणी प्रदर्श पी—63 में उसकी ग्रोस इंकम 3,52,946/— रूपये एवं नेट इंकम 3,47,710/— रूपये तथा वर्ष 2020—21 की आयकर विवरणी में उसकी ग्रोस इंकम 4,74,110/— रूपये एवं नेट इंकम 4,74,110/— उल्लेखित है। उक्त आयकर विवरणी के खण्डन के संबंध में अनावेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है। अतः उक्त आयकर विवरणी के आधार घटना के समय उसकी आय 4,74,110/— रूपये वार्षिक होना प्रमाणित होती है।

**44-** आवेदिका द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट व आयकर विवरणी अनुसार तथा उसके अभिवचनों से उसने 40,000/— रूपये प्रतिमाह आय अर्जित करना बताया है यदि आवेदिका की उपरोक्त आय को स्वीकार भी किया जावे तो उसके हाथ की कोहनी में आये फ्रैक्चर के कारण अधिकतम एक माह तक उसका ट्यूशन कार्य प्रभावित होना संभव है इसलिये उसे एक माह की आय की क्षतिपूर्ति 40,000/— रूपये दिलाया जाना उचित प्रतीत होती है।

## उपचार में हुआ व्यय

**45-** आवेदक ने अपने उपचार के सम्बन्ध में इलाज के पर्चे एवं चिकित्सा व्यय के संबंध में बिल एवं पर्चे प्रदर्श पी–15 लगायत 59 प्रस्तुत किये हैं जिसमें चिकित्सा व्यय से संबंधित दस्तावेज निम्नानुसार हैं –:

| क. | प्रदर्श | दस्तावेज | दिनांक | राशि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | प्र.पी.15 | फ्रैक्चर एण्ड पेन क्लीनिक का प्रिस्क्रिप्शन | 21.08.21 | 0 |
| 2. | प्र.पी.16 | विद्या हैल्थ इमेजिंग की रिपोर्ट | 21.08.21 | 0 |
| 3. | प्र.पी.17 | जिला चिकित्सालय मुरार ग्वालियर का प्रिस्क्रिप्शन | 21.08.21 | 0 |
| 4. | प्र.पी.18 | आर.एन.पैथ लैब की रिपोर्ट | 25.08.21 | 0 |
| 5. | प्र.पी.19 | आर.एन.पैथ लैब की रिपोर्ट | 25.08.21 | 0 |
| 6. | प्र.पी.20 | आर.एन.पैथ लैब की रिपोर्ट | 25.08.21 | 0 |
| 7. | प्र.पी.21 | आर.एन.पैथ लैब की रिपोर्ट | 25.08.21 | 0 |
| 8. | प्र.पी.22 | आर.एन.पैथ लैब की रिपोर्ट | 25.08.21 | 0 |
| 9. | प्र.पी.23 | आर.एन.पैथ लैब की रिपोर्ट | 25.08.21 | 0 |
| 10. | प्र.पी.24 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की डिस्चार्ज समरी | 28.08.21 | 0 |
| 11. | प्र.पी.25 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की डिस्चार्ज समरी | 28.08.21 | 0 |
| 12. | प्र.पी.26 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का प्रिस्क्रिप्शन | निल | 0 |
| 13. | प्र.पी.27 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का प्रिस्क्रिप्शन | 17.09.21 | 0 |
| 14. | प्र.पी.28 | डॉ. ओ.एन.नेगी का प्रिस्क्रिप्शन | 05.10.21 | 0 |
| 15 | प्र.पी.29 | डॉ. ओ.एन.नेगी का प्रिस्क्रिप्शन | 15.11.21 | 0 |
| 16. | प्र.पी.30 | जैन डायग्नोस्टिक्स की रसीद | 21.08.21 | 400 |
| 17. | प्र.पी.31 | विद्या हैल्थ इमेजिंग की रसीद | 21.08.21 | 3650 |
| 18. | प्र.पी.32 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का ओ.पी.डी बिल | 22.08.21 | 2000 |
| 19. | प्र.पी.33 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का ओ.पी.डी बिल | 23.08.21 | 2200 |
| 20. | प्र.पी.34 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का इनवाईस | 23.08.21 | 896 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 21. | प्र.पी.35 | डिस्काउंट मेडीकोज | 23.08.21 | 2367 |
| 22. | प्र.पी.36 | जैन डायग्नोस्टिक्स की रसीद | 24.08.21 | 350 |
| 23. | प्र.पी.37 | श्रीसांई कैमिस्ट की रसीद | 24.08.21 | 660 |
| 24. | प्र.पी.38 | आर.एन.ए. पैथलैब की रसीद | 25.08.21 | 3400 |
| 25. | प्र.पी.39 | श्री जयराम ब्रम्हचर्य आश्रम ट्रस्ट की रसीद | 27.08.21 | 1400 |
| 26. | प्र.पी.40 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की एडवांस रसीद | 27.08.21 | 40000 |
| 27. | प्र.पी.41 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की एडवांस रसीद | 27.08.21 | 30000 |
| 28. | प्र.पी.42 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का बिल (प्रदर्श पी–40, 41, और 45 का भाग है) | 27.08.21 | 0 |
| 29. | प्र.पी.43 | सर गंगाराम हॉस्पीटल का बिल | 27.08.21 | 1409 |
| 30. | प्र.पी.44 | सर गंगाराम हास्पीटल का बिल | 27.08.21 | 80202 |
| 31. | प्र.पी.45 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की एडवांस रसीद | 28.08.21 | 10202 |
| 32. | प्र.पी.46 | डिस्काउंट मेडीकोज की रसीद | 28.08.21 | 1974 |
| 33. | प्र.पी.47 | वर्मा मेडीकल की रसीद | 04.09.21 | 2792 |
| 34. | प्र.पी.48 | वर्मा मेडीकल की रसीद | 14.09.21 | 2827 |
| 35. | प्र.पी.49 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की ओ.पी.डी.रसीद | 17.09.21 | 1000 |
| 36. | प्र.पी.50 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की ओ.पी.डी.रसीद | 17.09.21 | 2000 |
| 37. | प्र.पी.51 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की ओ.पी.डी.रसीद | 17.09.21 | 1650 |
| 38. | प्र.पी.52 | डिस्काउंट मेडीकोज की रसीद | 17.09.21 | 1139 |
| 39. | प्र.पी.53 | आर.एन.ए.पैथलैब की रसीद | 28.09.21 | 1600 |
| 40. | प्र.पी.54 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की ओ.पी.डी.रसीद | 06.10.21 | 1000 |
| 41. | प्र.पी.55 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की रसीद | 06.10.21 | 540 |
| 42. | प्र.पी.56 | डिस्काउंट मेडीकोज की रसीद | 06.10.21 | 522 |
| 43. | प्र.पी.57 | सर गंगाराम हॉस्पीटल की रसीद | 15.11.21 | 1000 |
| 44. | प्र.पी.58 | डिस्काउंट मेडीकोज की रसीद | 15.11.21 | 1236 |
| 45. | प्र.पी.59 | डिस्काउंट मेडीकोज की रसीद | 15.11.21 | 810 |
| | | **कुल राशि रूपये** | | 199226 |

**46-** आवेदक की ओर से उक्त बिल एवं पर्चों का अवलोकन

करने पर प्रदर्श पी–40, 41, 42 और 45 एडवांस की रसीदें हैं जो मूल बिल प्रदर्श पी–44 में सम्मिलित होने प्रदर्श पी–40, 41, 42 और 45 के बिलों की राशि आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रदर्श पी–39 की रसीद डोनेशन की रसीद है। अतः उक्त रसीद की राशि 1400/– रूपये भी आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। शेष बिल एवं पर्चे आवेदक उपचार अवधि व चोट की प्रकृति के आधार पर संतोषप्रद व स्वाभाविक प्रतीत होते हैं। अतः उक्त बिल एवं पर्चों की राशि 1,17,624/– रूपये आवेदक को दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। आवेदक की ओर से एस.एस.ट्रेवल्स के बिल प्रदर्श पी–67 लगायत 72 क्रमशः 10,500/–, 10,500/–, 12,200/–, 10,220,/–, 10,220/–, 10,220/– रूपये प्रस्तुत किये गये हैं जिसमें से प्रदर्श पी–68 का बिल आवेदक साक्ष्य से असंगत प्रमाणित हुआ है जिसकी प्रतिपूर्ति की जाना उचित प्रतीत नहीं होती है। शेष प्रदर्श पी–67, 69, 70, 71, 72 के बिलों की राशि 53,360/– रूपये आवेदक को दिलाया जानाउचित प्रतीत होता है। अतः अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक उपचार व्यय 1,17,624/– रूपये एवं आवागमन व्यय के रूप में 53,360/– रूपये प्राप्त करने की अधिकारी है।

**47-** जहाँ तक भविष्य में उपचार व्यय की संभावना है, इस संबंध में आवेदक की ओर से कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, इसलिये उसे भविष्य के उपचार के लिये कोई राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

## आवागमन खर्च, पोष्टिक आहार व विविध खर्च

**48-** आवेदक को प्रश्नगत दुर्घटना में मुख्य रूप से दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक बांये हाथ की कोहनी में डिस्लोकेट एवं फ्रैक्चर कारित हुआ है। ऐसी स्थिति में आवेदक को आई चोटों की प्रकृति व उपचार अवधि के आधार पर उसे पोष्टिक आहार व विविध खर्च के रूप में रूपये 10,000/- (दस हजार) दिलाया जाना उचित प्रतीत होता है। आवागमन खर्च के बिल इलाज खर्चे के साथ प्रस्तुत किये गये हैं जिनको पूर्व में इलाज खर्च के साथ सम्मिलित किया जा चुका है।

## गैर वित्तीय हानि

**49-** आवेदक को प्रश्नगत दुर्घटना में मुख्य रूप से दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक के आवेदक बांये हाथ की कोहनी में डिस्लोकेट एवं फ्रैक्चर कारित हुआ है। आवेदक को आई चोटों के परिणामस्वरूप निश्चित रूप से उसे काफी शारीरिक व मानसिक कष्ट सहन करना पड़ा है, इसलिए चोट की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस मद में उसे कुल रूपये 20,000/- (बीस हजार) दिलाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

**50-** अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक को प्रतिकर के रूप में निम्नानुसार राशि दिलाई जा सकती थी :-

| क0 | मद | राशि |
|---|---|---|
| 1 | आय की हानि के मद में | 40,000 |

| | | |
|---|---|---|
| 2 | उपचार में हुआ व्यय | 1,17,624 |
| 3 | आवागमन में हुआ व्यय | 53,360 |
| 4 | पोष्टिक आहार व विविध खर्च | 10,000 |
| 5 | गैर वित्तीय हानि – शारीरिक व मानसिक पीड़ा व रमणीयता की हानि | 20,000 |
| | **कुल क्षतिपूर्ति राशि रूपये** | **2,40,984** |

**51-** अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक कुल प्रतिकर राशि रूपये **2,40,984/– (दो लाख चालीस हजार नौ सौ चौरासी)** प्राप्त करने का अधिकारी है।

## दायित्व निर्धारण

**52-** कथित दुर्घटना मोटर सायकिल क्रमांक–एम.पी.07–एन.डी.5312 के चालक अनावेदक क्र.01 की उपेक्षा एवं उतावलेपन के कारण घटित होना प्रमाणित हुआ है तथा दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.01 उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी था, प्रकरण में प्रश्नगत दुर्घटना कारित करने वाला वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र.02 बीमा कंपनी के यहॉ विधिवत बीमित था तथा वादप्रश्न क्र.03 के विवेचन में प्रकरण में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होना प्रमाणित नहीं हुआ है, इसलिये अनावेदक क्र.02 भी क्षतिपूर्ति राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी है।

**53-** अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदक,

अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथकतः कुल प्रतिकर राशि रूपये **2,40,984/— (दो लाख चालीस हजार नौ सौ चौरासी)** पाने की अधिकारी है। अतः इस वाद प्रश्न का निराकरण तद्‌नुसार आवेदक के पक्ष में **''आंशिक रूप से प्रमाणित''** के रूप में किया जाता है।

**वाद प्रश्न कमांक–(6)–:**

**54-** उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर आवेदक का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण में निम्नानुसार अधिनिर्णय पारित किया जाता है :–

(क) अनावेदकगण को आदेशित किया जाता है कि वे संयुक्ततः एवं पृथकतः आवेदक को प्रतिकर राशि कुल रूपये **2,40,984/— (दो लाख चालीस हजार नौ सौ चौरासी)** दो माह में अदा करें।

(ख) अनावेदकगण उक्त राशि पर आवेदन प्रस्तुति दिनांक 26.09.22 से रूपये अदा करने की दिनांक तक छः प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज की राशि भी अदा करें।

(ग) उक्त अधिनिर्णय राशि जमा होने पर आवेदक के उपचार खर्च आदि को दृष्टिगत रखते हुए उसे क्षतिपूर्ति राशि नकद प्रदान की जावे।

(घ) अनावेदकगण, आवेदक का दावे का व्यय वहन करेंगे।

(ड़) अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर प्रमाण पत्र अनुसार या रूपये 2,000/—(दो हजार) जो भी कम हो व्यय में जोड़ी जावे।

पृथक से व्यय पत्रक बनाया जावे।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित किया गया।
सही/—
**(साबिर अहमद खान)**
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
ग्वालियर, म0प्र0

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।
सही/—
**(साबिर अहमद खान)**
सदस्य
प्रथम मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
ग्वालियर, म0प्र0

SABIR AHMAD KHAN
Digitally signed by SABIR AHMAD KHAN
Date: 2025.12.12 12:26:24 +0530